अत्यावश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या–प0नि0 30–89/2021– 2517

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक– 6 जुलाई, 2021

विषयः– **बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के दौरान कोविड–19 के मद्देनजर निरोधात्मक उपायों के संबंध में।**

प्रसंगः– **राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना का पत्रांक–1032 दिनांक–25.02.2021**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के क्रम में कोविड–19 के संदर्भ में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेश के अंतर्गत सामाजिक दूरी (Social Distancing)] स्वच्छता (Hygiene) एवं अन्य नियमों, अनुदेशों का अनुसरण करते हुए निर्वाचन का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत आम निर्वाचन माह अगस्त से माह अक्टूबर, 2021 के दौरान कराया जाना प्रस्तावित है। निर्वाचन कार्यों के दौरान कोविड–19 से बचाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार किया गया है।

अतः आयोग स्तर पर तैयार विस्तृत दिशा–निर्देश पुस्तिका संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कोविड–19 से बचाव हेतु आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता जिला स्तर पर करने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक प0नि0 30–89/2021– 2517 पटना, दिनांक– 6 जुलाई, 2021

प्रतिलिपिः सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह जिला पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए कोविड–19 से बचाव हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक– यथोक्त

सचिव

ज्ञापांक प0नि0 30–89/2021– 2517 पटना, दिनांक– 6 जुलाई, 2021

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक प0नि0 30–89/2021– 2517 पटना, दिनांक– 6 जुलाई, 2021

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक प0नि0 30–89/2021– 2517 पटना, दिनांक– 6 जुलाई, 2021

प्रतिलिपिः आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव 07/7/21

बिहार पंचायत आम निर्वाचन –2021

कोविड – 19 के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

सोन भवन, तृतीय तल, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना – 800 001

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

सोन भवन, तृतीय तल, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना – 800 001

बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के दौरान कोविड – 19 के संदर्भ में समय–समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के आलोक में विस्तृत Plan की रूप रेखा एवं विवरणी निम्नवत है :–

क्रम सं0	अनुपालन का स्तर	मुख्य बिन्दु एवं गतिविधियों की विवरणी	COVID- 19 के संदर्भ में विस्तृत Plan की विवरणी
1	जिला / प्रखंड स्तरीय	सामान्य अनुदेश	1. निर्वाचन प्रक्रियाओं के दौरान निर्वाचन गतिविधियों में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क एवं Face Shield का उपयोग किया जायेगा। 2. निर्वाचन संबंधी गतिविधियों के क्रम में प्रत्येक व्यक्ति का Thermal Scanning किया जायेगा। 3. निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर Hand Sanitizer, साबुन, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 4. कोविड–19 के संदर्भ में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेश के अंतर्गत सामाजिक दूरी (Social Distancing) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 5. स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने हेतु जिला / प्रखण्ड स्तर पर स्वास्थ्य टीमों का गठन किया जायेगा। 6. सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बड़े हॉल का चयन विभिन्न स्तरो पर कार्य संपादन हेतु किया जायेगा। 7. कोविड–19 के आलोक में जारी अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करने के क्रम में मतदान दल एवं सुरक्षा बलों के Mobilization को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। 8. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) मतदान कार्य में प्रतिनियुक्त होने वाले कर्मियों के उपयोग हेतु श्रेणीवार वाहनों का आकलन करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे

			कि कोविड–19 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त वाहन की उपलब्धता ससमय सुनिश्चित कर ली जाये। 9. पीठासीन पदाधिकारी को 1 से 100 तक पूर्व मुद्रित टोकन उपलब्ध कराया जायेगा। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा उक्त टोकन मतदान समाप्ति के समय के उपरांत पंक्ति में खड़े मतदाताओं को उपलब्ध कराया जायेगा। मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी पूर्व मुद्रित टोकन ऐसे मतदाताओं को उपलब्ध करायेंगे जिनका तापमान मानक से अधिक पाया गया है एवं जिन्हें अंतिम घंटे में मतदान करना है। 10. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त होने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कोविड–19 के संदर्भ में संक्रमण से बचाव हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले सामग्रियों के Use एवं उसके Disposal के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रदान करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करेंगे। 11. स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड–19 से संबंधित निर्गत निदेशों के अधीन सामग्रियों के सुरक्षित रख–रखाव एवं Disposal की कार्रवाई की जायेगी। 12. कोविड–19 के Appropriate Behaviour के लिए क्या करें, क्या न करें संबंधी पोस्टर, बैनर आदि का प्रदर्शन किया जायेगा।
2	जिला / प्रखण्ड स्तरीय	नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति	1. कोविड–19 के क्रम में सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन एवं कोविड–19 से संबंधित गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर / प्रखण्ड स्तर पर स्वास्थ्य नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित किया जायेगा।
3	जिला / प्रखण्ड स्तरीय	ईवीएम का FLC	1. EVM के FLC हेतु बड़े हॉल का चयन किया जायेगा। सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों के बैठने की व्यवस्था होगी। 2. हॉल के प्रवेश द्वार पर ही Thermal Scanning की जायेगी एवं Hand Sanitizer की व्यवस्था होगी।

			3. हॉल में उपस्थित सभी व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। 4. इस कार्य में संलग्न सभी पदाधिकारियों, कर्मियों एवं मजदूरों की Thermal Scanning की जायेगी एवं Hand Sanitizer की व्यवस्था होगी, जिन कर्मियों/मजदूरों द्वारा मशीन की जाँच एवं परिवहन का कार्य किया जायेगा उनके द्वारा मास्क एवं Gloves का उपयोग किया जायेगा। 5. FLC के लिए लगाये गये टेबल के बीच 2 गज (6 फीट) की दूरी रखा जायेगा। 6. सभी EVM को Sanitize किया जाएगा। 7. कोविड–19 के Appropriate Behaviour के लिए क्या करें, क्या न करें संबंधी पोस्टर, बैनर आदि का प्रदर्शन किया जायेगा।
4	जिला/ प्रखण्ड स्तरीय	प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन	1. जहाँ तक संभव हो निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था विकेन्द्रीकृत होगी। साथ ही बड़े हॉल में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। 2. निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त होने वाले कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाईन पद्धति का उपयोग किया जा सकता है। 3. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) एवं निर्वाची पदाधिकारी वैसे कर्मियों के प्रतिस्थापन की व्यवस्था सुरक्षित श्रेणी के कर्मियों से करेंगे जिनमें कोविड–19 का लक्षण परिलक्षित होगा। 4. प्रशिक्षण 25–25 के समूह में दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी। 5. प्रशिक्षणार्थियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। 6. Thermal Scanning, Hand Sanitizer, साबुन एवं पानी आदि की व्यवस्था रहेगी एवं इसके प्रयोग हेतु Dedicated कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। 7. प्रशिक्षण स्थल को प्रतिदिन प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पूर्व तथा प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरांत Sanitize किया जायेगा। 8. कोविड–19 के Appropriate Behaviour के लिए क्या

			करें, क्या न करें संबंधी पोस्टर, बैनर आदि का प्रदर्शन किया जायेगा।
5	जिला / प्रखण्ड स्तरीय	नामांकन प्रक्रिया	1. ऑनलाईन पद्धति से नामांकन हेतु अतिरिक्त विकल्प के रूप में निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध होगी :– (क) नामांकन प्रारूप राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के वेबसाइट पर उपलबध होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाईन पद्धति से नामांकन करना चाहते हैं, वे वेबसाइट में नामांकन पत्र की प्रविष्टि कर सकते है एवं उसका प्रिंट निकालकर प्रारूप – 6 में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत सूचना में इंगित स्थान पर नामांकन दाखिल करेंगे। 2. आयोग के अन्य निदेशः– (क) नामांकन के समय अभ्यर्थी के साथ एक प्रस्तावक नामांकन के समय उपस्थित होने के लिए अनुमान्य है। (ख) नामांकन के अवसर पर अधिकतम एक वाहन की ही अनुमति होगी। (ग) नामांकन, संवीक्षा एवं प्रतीक आवंटन के अवसर पर सामाजिक दूरी के अनुपालन हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो। (घ) निर्वाची पदाधिकारी संभावित अभ्यर्थियों के लिए अग्रिम रूप से समय का निर्धारण कर सकते है। (ङ) निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के पास अभ्यर्थी एवं उनके प्रस्तावकों के प्रतीक्षारत होने के लिए Spacious Hall की पहचान की जाएगी। (च) प्रतीक आवंटन के समय निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष केवल अभ्यर्थी या उनके अधिकृत अभिकर्त्ता को ही जाने की अनुमति दी जाएगी 3. निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए 2 गज की दूरी रखी जाएगी। 4. अभ्यर्थी एवं उनके प्रस्तावक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। 5. निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष के बाहर Thermal Scanning, Hand Sanitizer, साबुन एवं पानी आदि की व्यवस्था रहेगी एवं इसके प्रयोग हेतु Dedicated कर्मी

			की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। 6. कोविड–19 के Appropriate Behaviour के लिए क्या करें, क्या न करें संबंधी पोस्टर, बैनर आदि का प्रदर्शन किया जायेगा।
6	जिला / प्रखण्ड स्तरीय	नाम–निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	1. नाम–निर्देशन पत्रों की संवीक्षा एवं प्रतीक आवंटन के अवसर पर सामाजिक दूरी के अनुपालन हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो।
7	जिला / प्रखण्ड स्तरीय	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनावी अभियान के संदर्भ में	1. निर्वाचन संबंधी बैठक – कोविड–19 हेतु निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में सार्वजनिक सभा / रैली संचालित होगी। इस उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) निम्नलिखित कार्रवाई करेंगेः– (क) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) अग्रिम रूप से ऐसे स्थलों का चयन करेंगे जहाँ सार्वजनिक सभा का आयोजन हो सकता है। साथ ही उक्त स्थल पर प्रवेश एवं निकास के बिन्दु स्पष्ट रूप से निर्धारित हो। (ख) ऐसे चिन्हित स्थलों पर अग्रिम तौर से Marker द्वारा सामाजिक दूरी के निर्धारित मानकों को चिन्हित किया जायेगा। (ग) इस प्रक्रिया में जिला स्तर पर चिन्हित District Health Officer की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी जो कोविड–19 से संबंधित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। (घ) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) एवं पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक सभा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या राज्य आपदा प्राधिकार द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक नहीं हो। (ङ) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों के अनुश्रवण हेतु Sector Health Regulator की प्रतिनियुक्ति करेंगे जो कोविड– 19 के निदेशों का अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे। (च) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड–19 से

			संबंधित आवश्यकताओं के क्रम में मास्क, Hand Sanitizer, Thermal Scanner इत्यादि का उपयोग निर्वाचन संबंधी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में अनिवार्य रूप से किया जाएगा। (छ) अनुदेशों के अनुपालन नहीं करने के संबंध में – कोई भी व्यक्ति जो कोविड–19 के अंतर्गत निर्गत अनुदेशों का अनुपालन नहीं करेगा उसके विरूद्ध Disaster Management Act. 2005 की धारा 51–60 के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं दूसरे अन्य कानूनी प्रावधानों, के अंतर्गत भी कर्रवाई की जायेगी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) उक्त प्रावधानों के संबंध में सभी संबंधित को सूचित करेंगे। (ज) कोविड–19 के Appropriate Behaviour के लिए क्या करें, क्या न करें संबंधी पोस्टर, बैनर आदि का प्रदर्शन किया जायेगा।
8	जिला / प्रखण्ड स्तरीय	मतदान हेतु ईवीएम की तैयारी (Commissioning of EVM)	1. मतदान हेतु ईवीएम की तैयारी बड़े हॉल में संचालित किया जायेगा। सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए अभ्यर्थियों / निर्वाचन अभिकर्त्ता, अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों के बैठने की व्यवस्था हेागी। 2. हॉल के प्रवेश द्वार पर ही Thermal Scanning की जायेगी एवं Hand Sanitizer की व्यवस्था होगी। 3. हॉल में उपस्थित सभी व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। 4. प्रवेश द्वार पर ही सभी संबंधित पदाधिकारियों, कर्मियों, अभ्यर्थियों, निर्वाचन एजेंट एवं मजदूरों की Thermal Scanning की जायेगी एवं उनके हाथ को Sanitize भी किया जाएगा। 5. यदि कोई बिना मास्क के आया है, तो उसे प्रवेश द्वार पर ही मास्क उपलब्ध करा दिया जायेगा। मतदान हेतु ईवीएम की तैयारी कक्ष में बिना मास्क के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 6. इस दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क एवं Gloves

			का प्रयोग किया जायेगा। 7. Sealing कार्य हेतु लगाये गये दो टेबलों के बीच न्यूनतम 2 गज (6 फीट) की दूरी रखी जायेगी। साथ ही प्रत्येक टेबल पर Hand Sanitizer की व्यवस्था होगी। यहाँ पर सामाजिक दूरी का अनूपालन करते हुए कार्य संपन्न किया जायेगा। 8. कोविड–19 के Appropriate Behaviour के लिए क्या करें, क्या न करें संबंधी पोस्टर, बैनर आदि का प्रदर्शन किया जायेगा।
9	जिला / प्रखण्ड स्तरीय	मतदान सामग्री की तैयारी	1. मतदान के लिए मतदान सामग्रियों का बंडल (झोला) सामग्री कोषांग के पदाधिकारी / कर्मचारी की देख–रेख में मजदूरों / अनुसेवकों से तैयार कराया जाता है। इस कार्य के लिए बड़े हॉल का उपयोग किया जायेगा। 2. कोविड–19 के कारण इस कार्य को एक स्थान पर नहीं करके आवश्यकता अनुसार एक से अधिक स्थानों पर किया जायेगा। 3. प्रत्येक दिन कार्य स्थल पर सभी पदाधिकारी / कर्मचारी / अनुसेवक / मजदूर के उपयोग हेतु Hand Sanitizer, साबुन एवं पानी आदि की व्यवस्था रहेगी तथा उन्हें Thermal Scanning के बाद ही प्रवेश की अनुमति होगी। 4. सभी को मास्क और हाथ में Gloves लगा कर ही काम करने की इजाजत दी जायेगी। 5. निर्वाचन सामग्री के वितरण / संग्रहण के लिए मतदान दलों के लिए अलग–अलग समय का निर्धारण पहले से कर लिया जाना चाहिए। 6. कार्य करते समय निर्धारित सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। 7. कोविड–19 के Appropriate Behaviour के लिए क्या करें, क्या न करें संबंधी पोस्टर, बैनर आदि का प्रदर्शन किया जायेगा।
10	जिला / प्रखण्ड स्तरीय	मतदान केन्द्र के लिए निर्वाचकों के मानक का निर्धारण	1. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर निर्वाचकों की संख्या अधिकतम 850 निर्धारित की गयी है।

11	जिला/ प्रखण्ड स्तरीय	मतदान हेतु मतदान दल को ईवीएम का वितरण	1. वितरण हेतु Strong Room खोलते समय वहाँ मौजूद सभी पदाधिकारियों, कर्मियों, अभ्यर्थियों/ निर्वाचन अभिकर्त्ताओं की Thermal Scanning, Hand Sanititzer, मास्क का उपयोग एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। 2. Strong Room खोलने के उपरांत Strong Room में रखे गये मशीनों एवं पी0सी0सी0पी0 को उपलब्ध कराये जाने वाले पैकेट को संक्रमण मुक्त किया जाएगा। 3. मशीन प्राप्त करने हेतु Strong Room के बाहर बने हुए शेड में पी0सी0सी0पी0 के लिए 2 गज (6 फीट) की दूरी पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। 4. वितरण स्थल पर प्रवेश करने से पूर्व पी0सी0सी0पी0 के लिए Thermal Scanning, Hand Sanitizer, मास्क का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। 5. वितरण टेबल के बीच कम से कम 2 गज (6 फीट) की दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस टेबल पर भी Hand Santitizer की व्यवस्था होगी। इस टेबल पर प्रतिनियुक्ति कर्मी द्वारा मास्क एवं Gloves का प्रयोग किया जायेगा। 6. ईवीएम एवं अन्य सामग्री प्राप्त करने के उपरांत पी0सी0सी0पी0 दण्डाधिकारी द्वारा पावती उपलब्ध कराने हेतु हस्ताक्षर अंकित करने के क्रम में अपने कलम का उपयोग किया जायेगा। वितरण स्थल पर इस तरह की व्यवस्था की जायेगी कि अनावश्यक भीड़ न हो। 7. पी0सी0सी0पी0 द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले वाहन को संक्रमण मुक्त किया जायेगा। वाहन के चालक का Thermal Scanning किया जायेगा तथा Hand Sanitizer व मास्क उपलब्ध कराया जायेगा।
12	जिला/ प्रखण्ड स्तरीय	मतदान सामग्री का वितरण	1. निर्वाचन सामग्री के वितरण/संग्रहण के लिए मतदान दलों के लिए अलग–अलग समय का निर्धारण पहले से कर लिया जाना चाहिए ताकि उत्यधिक भीड़–भाड़ की स्थिति पैदा न हो।
13	जिला/	मतदान सामग्री का	1. मतदान दल हेतु KIT- निम्नलिखित सामग्री मतदान

	प्रखण्ड स्तरीय	वितरण	दल एवं सुरक्षा बलों को अतिरिक्त सामग्री के तौर पर दी जायेगीः– (क) मास्क (ख) Hand Sanitizer (ग) Face Shield (घ) Gloves
14	जिला / प्रखण्ड स्तरीय	मतदान केन्द्र की व्यवस्था	**1.**कोविड–19 की स्थिति को देखते हुए निम्नलिखित अतिरिक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगीः– (1) मतदान के एक दिन पूर्व एवं समय–समय पर अनिवार्य रूप से सभी मतदान केन्द्रों को Sanitize किया जायेगा। उक्त निमित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी (पंचायत) स्थानीय व्यवस्था के तहत मतदान केन्द्रों का Sanitization करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। (2) सभी मतदान केन्द्रों के प्रवेश द्वार पर Thermal Scanner की व्यवस्था की जायेगी। (3) मतदान कर्मी अथवा पारा मेडिकल स्टाफ अथवा आशा कार्यकर्त्ता के माध्यम से मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर Thermal Scanning का कार्य किया जायेगा। (4) सक्षम प्राधिकार द्वारा तापमान हेतु निर्धारित मानक से अधिक तापमान पाये जाने पर वैसे निर्वाचकों के तापमान की दुबारा जाँच आधा घंटा के बाद की जायेगी। यदि तापमान निर्धारित मानक से अधिक पाया जाता है तो उन्हें मतदान के अंतिम घंटे में आने के लिए कहा जायेगा। साथ ही ऐसे निर्वाचक को इस आशय का टोकन भी निर्गत किया जायेगा। टोकन निर्गत करने के पूर्व Help Desk पर संधारित Alphabetical Roll में मतदाता का क्रमांक चिन्हित किया जायेगा एवं टोकन में भी मतदाता क्रमांक का उल्लेख किया जायेगा। (5) मतदान के अंतिम घटें में ऐसे निर्वाचकों को मतदान की सुविधा प्रदान की जायेगी एवं कोविड–19 के क्रम में निर्गत निरोधात्मक उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

			(6) सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पंक्ति में खड़े होने के लिए निर्धारित स्थल को Marker (जैसे पेंट, चॉक, रंगोली इत्यादि) की सहायता से चिन्हित किया जायेगा। (7) ऐसे मतदान केन्द्र स्थल जहाँ मतदान केन्द्रों की संख्या एक से अधिक है, वहाँ निर्वाचकों को इस प्रकार पंक्तिबद्ध किया जायेगा कि कोविड–19 हेतु सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित हो सकें। (8) मतदान केन्द्र पर जगह की उपलब्धता के आधार पर 15–20 व्यक्तियों के पंक्तिबद्ध होने की व्यवस्था की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके बीच 2 गज (6 फीट) की दूरी बनी रहे। मतदान केन्द्र पर तीन पंक्ति क्रमशः पुरूष, महिला एवं PwD / वरिष्ठ नागरिक के लिए होगा। (9) मतदान केन्द्र पर स्वयंसेवकों आदि की सेवा ली जायेगी जिनके द्वारा सामाजिक दूरी के मानक का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (10) मतदान केन्द्र पर पुरूष एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग Shaded waiting area चिन्हित किया जायेगा, जिसमें कुर्सी, दरी आदि की व्यवस्था होगी, जिससे निर्वाचक सुरक्षात्मक उपायों के साथ मतदान में भाग ले सकते है। (11) मतदान केन्द्र के प्रवेश एवं निकास द्वार पर साबुन और पानी की व्यवस्था की जायेगी। (12) सभी मतदान केन्द्र के प्रवेश एवं निकास द्वार पर Hand Santizer की व्यवस्था की जायेगी। (13) स्वास्थ्य विभाग द्वारा Bihar Epidemic Diseases COVID -19 Regulation, 2020 के अतर्गत निर्गत अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य है। वैसे व्यक्ति जिनके द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया जायेगा, प्रावधानों के अनुसार रू0–50 /– जुर्माना का प्रावधान है। उक्त प्रावधान का अनुपालन हर स्तर पर

			सुनिश्चित किया जायेगा। (14) मतदान केन्द्र में जागरूकता के दृष्टिकोण से ऐसे स्थान पर जहाँ Visibility (दृश्यता) हो, पर कोविड–19 से संबंधित पोस्टर प्रदर्शित किया जायेगा। (15) मतदान केन्द्र पर मतदान दल एवं Polling Agent के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से की जायेगी कि सामाजिक दूरी के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकें। (16) यदि मतदान केन्द्र पर किसी Polling Agent को मानक से अधिक तापमान है, तो वैसी स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा उसके Relief Agent को मतदान प्रक्रिया में शामिल करने की अनुमति दिया जाएगा। (17) निर्वाचकों के पहचान के क्रम में निर्वाचक को अपना मास्क आवश्यकतानुसार हटाना होगा। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा उक्त व्यवस्था का क्रियान्वयन का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। (18) किसी भी समय मतदान पदाधिकारी के सामने मात्र एक ही मतदाता सामाजिक दूरी का पालन करते हुए उपस्थित रह सकते है। पीठासीन पदाधिकारी की यह व्यक्तिगत जवाबदेही होगी कि कोविड–19 हेतु निर्गत निरोधात्मक उपायों का अनुपालन सुनिश्चित हो सकें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) इसके लिए आवश्यक निदेश निर्गत करेंगे। (19) निर्वाचकों को मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर एवं ईवीएम के बैलेट यूनिट के बटन दबाने के लिए Hand Gloves मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वारा पर दिया जाएगा। (20) मतदान केन्द्र के Help Desk पर Hand Sanitizer संधारित किया जायेगा जहाँ निर्वाचक इसका उपयोग कर सके। निर्वाची पदाधिकारी उक्त

			व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई ससमय सुनिश्चित करेंगे। इस निमित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा आवश्यक निदेश निर्गत किया जायेगा। (21) निर्वाचक मतदान प्रक्रिया के उपरांत उपलब्ध कराये गये Hand Gloves को मतदान कक्ष के बाहर रखे गये निर्धारित कूड़ेदान में डालेंगे एवं पुनः Hand Sanitizer द्वारा हाथ को Sanitize करते हुए वापस जायेंगे। (22) कोविड +ve निर्वाचक जो Quarantine में रखे गये है, स्वास्थ्य कर्मियों की देख–रेख में कोविड–19 से संबंधित निरोधात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए उन्हें अपने मतदान केन्द्र पर मतदान के अंतिम घंटे में मतदान करने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित मतदान केन्द्रों के सेक्टर पदाधिकारी ऐसे निर्वाचकों की व्यवस्था में आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे। सभी मतदान कर्मी उक्त अवधि में उपलब्ध कराये गये PPE Kit का अनिवार्य रूप में उपयोग करेंगे। (23) कोविड–19 के Appropriate Behaviour के लिए क्या करें, क्या न करें संबंधी पोस्टर, बैनर आदि का प्रदर्शन किया जायेगा।
15	जिला / प्रखण्ड स्तरीय	मतदान समाप्ति के उपरांत Strong Room में रखा जाना।	1. मतदान समाप्ति के उपरांत मतदान में उपयोग हुए ईवीएम को रखने के लिए बने Strong Room के परिसर को कीटनाशकों (Disinfectant) का छिड़काव कराते हुए संक्रमण मुक्त किया जायेगा। 2. जब मतदान समाप्ति के उपरांत पी0सी0सी0पी0 दण्डाधिकारी अपने संबंद्ध मतदान केन्द्रों के पीठासीन पदाधिकारियों के साथ Polled ईवीएम को जमा कराने Strong Room परिसर में पहुँचेंगे, तब उसके मुख्य द्वार पर टीम के सदस्यों की Thermal Scanning की जायेगी। इनका हाथ Sanitize कराया जायेगा ताकि कोई भी पदाधिकारी एवं कर्मी बिना मास्क के परिसर में प्रवेश न कर सके इसका ध्यान रखा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के आता है, तो यही पर उसे मास्क उपलब्ध करा दिया जायेगा।

			3. मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते ही पी0सी0सी0पी0 दण्डाधिकारी के साथ संबद्ध सभी पीठासीन पदाधिकारी को परिसर में पहुंचने के क्रम के अनुसार टोकन दिया जायेगा, जिसमें टेबल नं0 एवं क्रमांक अंकित होगा। टोकन के अनुसार बारी आने पर ही उनको निर्धारित काउंटर के सामने के गोले में पंक्तिबद्ध होकर खड़े होने का निदेश दिया जायेगा। 4. संग्रहण स्थल पर ईवीएम एवं अन्य सामग्रियों की प्राप्ति हेतु बनाये जाने वाले काउंटरों के बीच की दूरी कम–से–कम 2 गज (6 फीट) होनी चाहिए। 5. संग्रहण केन्द्र के मुख्य द्वार पर प्रत्येक काउंटर के लिए चिन्हित मतदान केन्द्रो की संख्या प्रदर्शित की जायेगी। पीठासीन पदाधिकारी को इस आशय की पूर्व सूचना दे दी जायेगी कि उनके मशीन एवं अन्य अभिलेख किस काउंटर पर जमा किये जायेंगे। 6. प्रत्येक काउंटर के सामने 2–2 गज (6 फीट) की दूरी पर गोला बनाया जायेगा, जिसमे पंक्तिबद्ध पीठासीन पदाधिकारी अपनी बारी के इंतजार में बैठ जायेंगे। 7. प्रत्येक काउंटर पर Hand Sanitizer, Gloves, मास्क, Face Shield उपलब्ध कराये जायेंगे, जिसका उपयोग काउंटर पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा किया जायेगा। 8. इस कार्य में प्रतिनियुक्त मजदूरों को भी Gloves, मास्क, Face Shield उपलबध कराये जायेंगे। 9. पीठासीन पदाधिकारी को उनकी बारी आने पर पुनः उनका हाथ Sanitize किया जायेगा। इसके उपरांत वे ईवीएम तथा अन्य कागजात काउंटर पर जमा कराने के उपरांत अपने निर्धारित गोले में जाकर पुनः खड़े जो जायेंगे। तत्पश्चात प्राप्त करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मी जांच पड़ताल के बाद पावती देंगे। 10. जब इन मशीनों को काउंटर पर प्राप्त कर लिया जायेगा, तो उसे मदद के लिए लगाये गये मजदूरों की सहायता से निर्धारित दूरी का अनुपालन करते हुए काउंटर से उठाकर सावधानी पूर्वक Strong Room में संबंधित मतदान केन्द्र के लिए बने स्थल पर रख दिया जायेगा। 11. प्रत्येक पी0सी0सी0पी0 दण्डाधिकारी से सम्बद्ध मतदान केन्द्रों की मशीने एवं अन्य कागजात जमा होने के

			बाद पूरे टीम को परिसर से बाहर भेज दिया जायेगा। 12. जब सभी मतदान केन्द्रों के मशीनों एवं अन्य कागजात जमा कर लिया जायेगा, तो उसे सामाजिक दूरी एवं अन्य सावधनियों के साथ Strong Room को सील कर दिया जायेगा। 13. Strong Room परिसर में कोविड–19 संबंधी प्रोटोकॉल के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।
16.	जिला / प्रखण्ड स्तरीय	Strong Room की व्यवस्था	1. मतदान समाप्ति के उपरांत ईवीएम आदि सुरक्षित रखने के पूर्व बज्रगृह को Sanitize किया जायेगा। 2. प्रत्येक गतिविधि में सामाजिक दूरी एवं सुरक्षा संबंधी मानकों का पालन किया जायेगा।
17.	जिला / प्रखण्ड स्तरीय	मतों की गणना	1. मतगणना हॉल के अंतर्गत आवश्यकतानुसार अधिकतम टेबल की अनुमति होगी जिसके लिए अतिरिक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। 2. मतगणना टेबल पर CU एवं BU के Carrying Case को लाने के पूर्व Sanitize किया जायेगा। 3. CU एवं BU के De-sealing एवं निर्वाचन परिणाम को प्रदर्शित करने हेतु प्रत्येक टेबल पर एक कर्मी प्रतिनियुक्त होंगे। 4. बड़े पैमाने पर मतगणना अभिकर्त्ता को जगह उपलब्ध कराने में कठिनाई हो तो ऐसे स्थिति में Conrol Unit के माध्यम से प्रदर्शित होने वाले निर्वाचन परिणामों को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जायेगी ताकि मतगणना अभिकर्त्ता को असुविधा नहीं हो। 5. मतगणना केन्द्र को मतगणना शुरू होने के पूर्व, मतगणना के दौरान एवं मतगणना के पश्चात Disinfected किया जायेगा।